RLRD/05/2017
21/12/17

संख्या–5/स.भू.विविध–156/2016 ..../रा0

झारखण्ड सरकार,

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

राँची, दिनांक–...................

–:संकल्पः–

विषय :– अवैध/अनियमित जमाबंदी को रद्द करने के प्रसंग में सुयोग्य भूमिहीन व्यक्तियों को चिन्हित कर उन्हें भूमि उपलब्ध कराते हुए उनके नाम से कायम जमाबंदी को नियमित करने हेतु नीति निर्धारण करने के संबंध में।

भूमिहीन एवं सुयोग्य श्रेणी के व्यक्तियों के साथ सरकारी भूमि की बंदोबस्ती सरकार की प्राथमिकता में सदा से रहा है एवं तदनुरूप नीतिगत निर्णय लेते हुए कतिपय परिपत्र समय–समय पर निर्गत किये जाते रहे हैं। राजस्व विभागीय परिपत्र सं0–2034/रा0, दिनांक–03.05.1971 के द्वारा सुयोग्य श्रेणी के व्यक्तियों, जिसके अंतर्गत (क) अनुसूचित जाति (ख) अनुसूचित जनजाति (ग) पिछड़ा वर्ग (सूची– I) (घ) पिछड़ा वर्ग (सूची–II) (ङ) पूर्वी पाकिस्तान एवं बर्मा से आए हुए शरणार्थी जो फरवरी 1964 को या उसके बाद भारत में आए हों एवं (च) कार्यरत सैनिक तथा वैसे सैनिक के परिवार जो युद्ध में वीरगति प्राप्त किये हों सम्मिलित हैं, के साथ आवासीय प्रयोजन हेतु 12.5 डिसमील जमीन बंदोबस्ती का प्रावधान है।

2. राजस्व विभागीय परिपत्र संख्या 701/रा., दिनांक–26.02.1982 के प्रावधानानुसार छोटानागपुर एवं संथालपरगना में अधिकतर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग (एनेक्सर–1) के किसान उत्तर बिहार की तुलना में अधिक गरीब है तथा उनकी भूमि जंगली एवं पथरीली होने के कारण अपेक्षाकृत बहुत कम उपजाऊ है। अतः छोटानागपुर एवं संथालपरगना में उपर्युक्त श्रेणी के व्यक्तियों के साथ भूमि बंदोबस्ती का रकबा भी उत्तरी बिहार की तुलना में अधिक होना चाहिए। अतः सरकार ने यह निर्णय लिया कि छोटानागपुर एवं संथालपरगना के सभी सुयोग्य श्रेणी के व्यक्तियों के साथ (अर्थात् आदिवासी, अनुसूचित जाति तथा एनेक्सर–1 की पिछड़ी जाति) कृषि कार्य के लिए 5 एकड़ तक भूमि की बन्दोबस्ती की जा सकती है, बशर्ते वैसी भूमि गैरमजरूआ आम नहीं है तथा बन्दोबस्ती छोटानागपुर काश्तकारी या संथालपरगना काश्तकारी अधिनियम के विपरीत नहीं हो। साथ ही वैसे क्षेत्र में उपर्युक्त सुयोग्य श्रेणी के 2 एकड़ तक के भू–धारियों को भूमिहीन माना जायेगा।

3. सैनिकों के साथ सरकारी भूमि की बंदोबस्ती के संबंध में सरकार द्वारा निर्गत परिपत्र सं0–4725/रा0, दिनांक–16.08.1982 ज्ञापांक–1683/रा., दिनांक–24.08.1990 एवं पत्रांक–2906/रा., दिनांक–22.08.2007 के आलोक में वैसे सैनिक जिनकी सेवाएँ आर्म फोर्स ऐक्ट के अंतर्गत आती है और जो कम से कम 5 महीने तक लगातार आर्म फोर्स ऐक्ट के अंतर्गत सेवा कर चुके हैं अथवा वीरगति प्राप्त कर चुके हैं, के परिवार के साथ या युद्ध में घायल होकर विकलांग हो गए हों उनके साथ, ग्रामीण क्षेत्र की 5 एकड़ जमीन कृषि कार्य के लिए एवं 12½ डिसमील भूमि आवास के लिए उपायुक्त के स्तर से ही बंदोबस्त किये जाने का प्रावधान है तथा सेवा निवृत्त सैनिकों को सुयोग्य श्रेणी की तरह कृषि कार्य हेतु 2 एकड़ तथा 12½ डिसमील आवासीय प्रयोजन हेतु ग्रामीण क्षेत्र में भूमि बंदोबस्ती का प्रावधान है, बशर्ते की सैनिक, सेवा में रहते हुए जमीन की बंदोबस्ती के लिए आवेदन पत्र दिया हो ।

21/12/17

कृ0पृ0उ0

E:\sankalp\156.16 awaidh jamabandi.docx

4. विभागीय परिपत्र सं0–914/रा0, दिनांक–09.12.1998 एवं पत्रांक–2074/रा0, दिनांक–13.05.16 के द्वारा गैरमजरूआ आम एवं खास भूमि पर अवैध रूप से कायम जमाबन्दी को BLR Act, 1950 की सुसंगत धाराओं के तहत रद्द करने का प्रावधान है।

5. झारखण्ड राज्य में सरकारी (गैरमजरूआ खास, आम एवं जंगल–झाड़ी) भूमि पर अवैध रूप से कायम जमाबंदी को रद्द करने के लिए चलाये गये अभियान में ऐसे मामले प्रकाश में आए हैं, जिनमें सुयोग्य श्रेणी के व्यक्तियों के नाम से पंजी–II में अवैध रूप से जमाबंदी खोल दी गयी है तथा जिनके पास सक्षम प्राधिकार द्वारा भूमि बंदोबस्त किये जाने का साक्ष्य–परवाना/गृह स्थल (वास) पर्चा जैसे दस्तावेज–उपलब्ध नहीं है। चूँकि यह सरकार का नीतिगत मामला है कि सुयोग्य भूमिहीन परिवारों के साथ सक्षम प्राधिकार द्वारा भूमि की बन्दोबस्ती की जाय, फलस्वरूप ऐसे मामलों में सुयोग्य श्रेणी के व्यक्तियों के नाम से कायम जमाबंदी को नियमित कर देने से/वास पर्चा दिये जाने से अनियमित जमाबंदी विधिसम्मत/नियमित हो जा सकेगी। सुयोग्य भूमिहीन परिवारों की पहचान कर उन्हें गृह स्थल (वास) भूमि उपलब्ध कराना भी सरकार की प्राथमिकता है। राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा अभियान चलाकर सुयोग्य भूमिहीन परिवारों को चिन्हित कर उन्हें गृह स्थल (वास) भूमि उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जानी है।

अतः मंत्रिपरिषद् की बैठक दि0–19.12.17, के मद सं0–07 में लिये गये निर्णय के आलोक में अवैध/अनियमित जमाबंदी को रद्द करने के प्रसंग में सुयोग्य भूमिहीन व्यक्तियों को चिन्हित कर उन्हें भूमि उपलब्ध कराते हुए उनके नाम से कायम जमाबंदी को नियमित करने हेतु निम्न रूप से नीति निर्धारित की जाती है:–

I. सुयोग्य श्रेणी की परिभाषा एवं सुयोग्य श्रेणी हेतु सरकारी भूमि की बंदोबस्ती हेतु पूर्व में निर्गत सभी राजस्व विभागीय परिपत्र को संशोधित कर सुयोग्य श्रेणी की परिभाषा को विस्तारित करते हुए इसमें सामान्य जाति के भूमिहीनों, कर्तव्य निर्वहन के दौरान शहीद/वीरगति प्राप्त सैनिकों के उत्तराधिकारियों/भूमिहीन दिव्यागों/उग्रवादी मुठभेड़ में शहीद राज्य के पुलिसकर्मियों के उत्तराधिकारियों को भी सम्मिलित किया जाय ताकि वैसे परिवारों के जीविकोपार्जन के साधन को सुदृढ़ करते हुए उन्हें राष्ट्र की मुख्यधारा में सम्मिलित किया जा सके। तद्नुसार सुयोग्य श्रेणी को निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है :–

सुयोग्य श्रेणी : सुयोग्य श्रेणी के अन्तर्गत (क) अनुसूचित जाति (ख) अनुसूचित जनजाति (ग) पिछड़ा वर्ग (सूची–1 एवं 2) (घ) वैसे सैनिक/अर्द्ध सैनिक बल के सदस्य, जो कर्तव्य निर्वहन के दौरान वीरगति प्राप्त/शहीद हुए हों, के उत्तराधिकारी (ङ) 1947 के विभाजन तथा उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान एवं बर्मा से आये हुए शरणार्थी (च) सामान्य जाति के भूमिहीन परिवार (छ) भूमिहीन दिव्यांग तथा (ज) कर्तव्य निर्वहन के दौरान शहीद हुए राज्य के पुलिसकर्मी, आयेंगे।

भूमिहीन परिवार : राज्य के सभी उक्त सुयोग्य श्रेणी के मामलों में 2 एकड़ तक के भूमि का रकबा धारित करने वाले भू–धारियों को भूमिहीन माना जायेगा तथा सैनिक/अर्द्ध सैनिक/कर्तव्य निर्वहन के दौरान शहीद हुए राज्य पुलिसकर्मी के मामले में वास की जमीन को मिलाकर 50 डिसमील से अधिक जमीन नहीं होनेवाले को भूमिहीन माना जायेगा।

II. सुयोग्य श्रेणी के वैसे भूमिहीन व्यक्ति, जिनके नाम से सरकारी भूमि जिसपर वे वर्ष 1985 के पूर्व से दखलकार है तथा जिसकी संदेहात्मक/अनियमित जमाबंदी पंजी–II में चल रही हो अथवा उक्त भूमि पर उनका मकान बना हुआ हो परन्तु उनके पास सक्षम प्राधिकार द्वारा भूमि बंदोबस्त

करने संबंधी दस्तावेज (गृह स्थल /वासगीत पर्चा संबंधी साक्ष्य) उपलब्ध न हो तो उन्हें उसी मौजा में जहां उनका वास स्थल हो, समुचित सत्यापन कर अधिकतम एक माह में उनकी जमाबंदी को उनके/उत्तराधिकारियों के नाम से नियमित कर दिया जायेगा, ताकि सुयोग्य श्रेणी के व्यक्तियों को सरकार की नीति के अनुरूप आवास हेतु 12.5 डी0 एवं कृषि कार्य हेतु 5.00 एकड़ तक की भूमि की बंदोबस्ती की जा सके। वीरगति प्राप्त/शहीद सैनिक एवं अर्द्ध सैनिक बल/**कर्तव्य निर्वहन के दौरान शहीद हुए राज्य के पुलिसकर्मी** के व्यक्ति के साथ उसी जिला में भूमि की बंदोबस्ती की जा सकेगी जिस जिला में उनका वास स्थान हो। **सैनिक/अर्द्ध सैनिक/ कर्तव्य निर्वहन के दौरान शहीद हुए राज्य के पुलिसकर्मी के मामले को छोड़कर सुयोग्य श्रेणी के भूमिहीन परिवार के व्यक्ति, जो सरकारी सेवा में है/सेवा निवृत्त हैं/आयकर दाता हैं, के साथ भूमि की बंदोबस्ती नहीं की जायेगी।**

(i) ऐसी नियमितीकरण/बंदोबस्ती केवल ग्रामीण क्षेत्रों में जो 1985 के पूर्व के दखलकारों के साथ की जाएगी, शहरी एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में (सुयोग्य श्रेणी की कंडिका–ङ के अन्तर्गत आच्छादित परिवारों के लिए आवासीय उद्देश्य के अलावा) इस प्रकार का कोई नियमितीकरण/ बंदोबस्ती नहीं की जाएगी।

(ii) प्रतिबंधित श्रेणी की गैर मजरूआ भूमि, यथा–गोचर, वन भूमि, शमशान, हड़गड़ी, कब्रिस्तान, सरना स्थल, मसना स्थल, नदी–नाला, पहाड़, आम रास्ता आदि का नियमितीकरण/बंदोबस्ती नहीं की जाएगी।

(iii) शासकीय परिसरों/संस्थानों के आस–पास 150 मीटर के अन्दर आने वाली भूमि की नियमितीकरण/बंदोबस्ती नहीं की जाएगी।

(iv) राजपथ/उच्चपथ/मुख्यमार्गों के दोनो तरफ 150–150 मीटर के अन्दर ऐसी कोई नियमितीकरण/बंदोबस्ती नहीं की जाएगी।

(v) जिन परिवारों के साथ पूर्व में सरकारी भूमि की बंदोबस्ती की जा चुकी है उनके साथ पुनः सरकारी भूमि की नियमितीकरण/बंदोबस्ती नहीं की जाएगी।

(vi) ऐसी नियमित/बंदोबस्त भूमि अहस्तांतरणीय होगी, परन्तु उत्तराधिकारियों के नाम से इसका नामांतरण हो सकेगा। बिना अनुमति के किया गया हस्तांतरण अवैध होगा तथा कायम जमाबंदी स्वतः रद्द समझी जाएगी।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(कमल किशोर सोन)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :– 5/स.भू.विविध–156/2016........6144.....रॉंची, दिनांक –...21.12.17

प्रतिलिपि :– अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय एवं प्रकाशन, डोरण्डा, रॉंची/नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, रॉंची को झारखण्ड राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

21.12.17
सरकार के सचिव।